

फर्द प्रहकाम

(नियम 26)

अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकाम देव

दुर्गा प्रसाद बनाम तह-देवली

म मुकदमा अपील नं. 69 14 2013 2015 27-8-13

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख प्रहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

07.2013 अपीलान्त श्री दुर्गा प्रसाद साहू ने जरिये अभिभाषक तहसीलदार देवली के आदेश दिनांक 30.05.2013 अन्तर्गत धारा 90क एल0आर0 एक्ट के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अन्तर्गत एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका अवलोकन किया गया। क्योंकि अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 03.06.2013 को अति.जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है इस संदर्भ में तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन आदेश में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु बजरी के ढेर लगाकर कार्य में लिये जाने के कारण एल0आर0 एक्ट 90क के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है इसलिए इन अपीलों की सुनवाई मेरे स्तर से किया जाना उचित नहीं रहेगा अतः पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर टोंक को प्रेषित की जाकर पत्रावली में संदर्भित पक्षकार दिनांक 13.08.2013 को न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष उपस्थित होंगे।

(Signature)
विविपत विभा कलेक्टर
 टोंक

8/13

पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक से प्राप्त होने एवं संचालिका कर्मचारी ^{सामूहिक} अवकाश पर होने के फलस्वरूप आज पेश हुई। अभिभाषक शंख द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित शरवा गमा। P.6 साहब अन्य शज कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-8-13 को पेश करेंगे।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.2.17	<p> पत्रावली पेश। राजकीय पेशेकार (रसोब) अणु। अपीलान्त व उनके अतिमाफ्त अनु। अपीलान्त व उनके अति के बार-बार, रुक-रुक कर आवाज लगावई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। अ.। अलीन अपीलान्त अरु एजरी-अरु पेशेकार त्वादिज की जाती है। पत्रावली निर्गीत अरु होकर तंबर के क्रम है। </p> <p style="text-align: center;"> <small>व्यक्तिगत जिला कलेक्टर होश</small> </p>	